भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3891

11 **अगस्त**, 2023 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

आयुष चिकित्सकों का नियमितीकरण

3891. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के. सुरेश:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कर्नाटक में आयुष के आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभागों में अनुबंध के आधार पर सैकड़ों चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे चिकित्सक अपनी सेवाओं की नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे चिकित्सकों से उनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, संविदा पर डॉक्टरों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं का नियमितीकरण संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालाँकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, आयुष अस्पतालों के उन्नयन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के तहत आयुष डॉक्टरों की संविदात्मक नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

*****